उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1

संख्या:-10/2017/2271/22-1-2017-596/97

लखनऊ : दिनांक 11 दिसम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में वेतन बैण्ड-3, रू0 15600-39100, ग्रेड पे रू0 7600/-(यथा संशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-12, रू0 78,800-2,09,200) में कार्यरत निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित वरिष्ठ अधीक्षक, ग्रेड-2 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप महानिरीक्षक, कारागार वेतन बैण्ड-4, रू0 37400-67000, ग्रेड पे रू0 8700/-(यथा संशोधित पुनरीक्षत वेतन मैट्रिक्स लेवल-13, रू0 1,18,500-2,14,100) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए स्तम्भ-3 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने एवं नवीन पदभार के साथ-साथ उन्हें स्तम्भ-4 में उल्लिखित कारागारों के अतिरिक्त प्रभार हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान करते हैं:-

क्र0	नाम/वर्तमान पदनाम	नवीन पदनाम/तैनाती	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1	श्री विन्ध्याचल सिंह यादव, वरिष्ठ अधीक्षक ग्रेड-2	उप महानिरीक्षक कारागार, वाराणसी परिक्षेत्र, वाराणसी	अधीक्षक, जिला कारागार, वाराणसी
2	श्री बुद्वूराम वर्मा, वरिष्ठ अधीक्षक ग्रेड-2	उप महानिरीक्षक कारागार, इलाहाबाद परिक्षेत्र, इलाहाबाद	वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी, इलाहाबाद
3	श्री वेद प्रकाश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधीक्षक ग्रेड-2	उप महानिरीक्षक कारागार, कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर	वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ
4	श्री संजीव त्रिपाठी, वरिष्ठ अधीक्षक ग्रेड-2	उप महानिरीक्षक कारागार, आगरा परिक्षेत्र, आगरा	वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा

2- उक्त नवप्रोन्नत अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रोन्नति के फलस्वरूप हुई नवीन तैनाती के स्थान (स्तम्भ्-3) पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ अपने नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में उल्लिखित कारागारों का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण कर दायित्वों का निर्वहन अग्रिम आदेशों तक सुनिश्चित करेंगे, जिसके लिए उन्हें अतिरिक्त वेतन, भत्ता आदि देय नहीं होगा। कृपया अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध करायें।

अरविन्द कुमार

प्रमुख सचिव।

संख्या:-10/2017/2271(1)/22-1-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित·

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम, द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग।
3- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
4- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
5- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 लखनऊ को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
6- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
7- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी।
8- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
9- सम्बन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत पत्रावली में रखने हेतु।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in